Llinell Gymorth Byw Heb Ofn
Live Fear Free Helpline
0808 80 10 800
ffôn • tecst • sgwrsio byw • ebost
call • text • live chat • email

Llywodraeth Cymru
Welsh Government

हेल्थ एंड केयर एक्ट 2022 के भाग के रूप में, यूके के किसी भी हिस्से में कौमार्य परीक्षण या हाइमेनोप्लास्टी को अंजाम देना, इसकी पेशकश करना या सहायता करना और इसके लिए उकसाना अब गैरकानूनी है।

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त एक पूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज **वर्जिनिटी टेस्टिंग एंड हाइमेनोप्लास्टी: मल्टी-एजेंसी गाइडेंस - GOV.UK (www.gov.uk) में पाया जा सकता है।**

कौमार्य परीक्षण और हाइमेनोप्लास्टी क्या है?

कौमार्य परीक्षण, जिसे हाइमन, '2-उंगली' या योनि की जांच के रूप में भी जाना जाता है, महिला जननांग का ऐसा निरीक्षण है, जिसका मकसद यह तय करना है कि महिला या लड़की ने योनिगत संभोग किया है या नहीं।

हेल्थ एंड केयर एक्ट 2022 के प्रयोजनार्थ, कौमार्य परीक्षण महिला जननांग की कोई भी ऐसी जांच (संपर्क के साथ या बिना) है, जिसका मकसद यह स्थापित करना है कि योनिगत संभोग हुआ है या नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन्स एंड गाइनाकोलॉजिस्ट्स (RCOG) का तो यही मानना है कि कौमार्य परीक्षणों की कोई वैज्ञानिक मेरिट या नैदानिक संकेत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई ज्ञात जांच नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि महिला ने योनिगत संभोग किया है या नहीं।

हाइमेनोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हाइमन यानी योनिद्वार की झिल्ली के पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। इसे हासिल करने की कई अलग-अलग तकनीकें हैं, लेकिन इसमें आमतौर पर योनि के मुहाने पर योनिद्वार की झिल्ली के अवशेषों को सिलाई करके एक साथ करना, या योनि के ऊतकों का उपयोग करके हाइमन का पुनर्निर्माण करना शामिल है। इस प्रक्रिया (प्रोसीजर) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी महिला को अगली बार संभोग करते समय रक्तस्राव हो ताकि यह आभास हो सके कि उसका कभी योनिगत संभोग नहीं हुआ है।

हाइमेनोप्लास्टी ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के जैसी नहीं है जिन्हें नैदानिक कारणों से हाइमन यानी योनिद्वार की झिल्ली पर किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, हाइमन के अवशेष फिंगर्स को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी जो असुविधा का कारण बनती है, या मासिक धर्म के रक्त को बाहर निकलने देने के लिए एक छिद्रित योनिद्वार की झिल्ली का इलाज करने के लिए की जाने वाली सर्जरी)।

कौमार्य परीक्षण यानी वर्जिनिटी टेस्टिंग और हाइमेनोप्लास्टी कौन प्रभावित होता है?

इसके प्रमाण हैं कि 13 से 30 साल की महिलाओं और लड़कियों को कौमार्य परीक्षण और/या हाइमेनोप्लास्टी (योनिद्वार की झिल्ली का पुनर्निर्माण) से गुजरने का सबसे अधिक खतरा होता है, लेकिन साल की लड़कियों भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। किसी भी उम्र, जातीयता, नस्ल, यौन रुझान, धर्म, दुर्बलता या सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली किसी भी महिला या लड़की को कौमार्य परीक्षण या हाइमेनोप्लास्टी के दायरे में लाया जा सकता है। महिलाओं और लड़कियों इन प्रथाओं से जुड़ी शर्म, अनुभव किए जा सकने वाले मानसिक आघात (ट्रौमा) के स्तर और भविष्य में 'सम्मान-आधारित' दुर्व्यवहार के डर के कारण अपने अनुभवों पर चर्चा करने में वर्षों लग सकते हैं।

जैसा कि तथाकथित 'सम्मान-आधारित' दुर्व्यवहार के अन्य रूपों के साथ है, ये प्रथाएं अक्सर अत्यधिक रूढ़िवादी समुदायों और संस्कृतियों में बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। इस कारण से, इन प्रथाओं का शिकार बनने वाली महिलाओं और लड़कियों की संख्या ज्ञात नहीं है। हालांकि इसकी व्यापकता स्पष्ट नहीं है, मगर इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं और लड़कियों पर कौमार्य परीक्षण और हाइमेनोप्लास्टी से गुजरने का अत्यधिक दबाव होता है।

इसका पीड़ितों पर क्या प्रभाव होता है?

शादी से पहले महिला के 'निर्दोष' रहने की अपेक्षा को पूरा करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को इन प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर, विवश और शर्मिंदा किया जाता है।

कौमार्य परीक्षण और हाइमेनोप्लास्टी को उसी तरह गंभीरता से लिया जाता है जैसे कि हमले के कारण सचमुच का शारीरिक नुकसान। इसे उन्हीं शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान की तरह स्वीकार किया जाता है जो उनके शिकार बनने वाले व्यक्ति को हो सकते हैं। इस स्तर की गंभीरता उन नियंत्रक नज़रियों को भी दर्शाती है जो प्रथाओं को मजबूती प्रदान करते हैं।

कौमार्य परीक्षण और हाइमेनोप्लास्टी दोनों ही बाल या जबरन विवाह और शारीरिक और भावनात्मक नियंत्रण सहित परिवार और/या सामुदायिक जबरिया व्यवहारों के अन्य रूपों की पूर्व-सूचना हो सकते हैं। जो महिलाएं कौमार्य परीक्षण में 'फेल' होती हैं, पाया जाता है कि उनका हाइमन पुनर्निर्माण हुआ है, या फिर उनकी सुहागरात को रक्तस्राव नहीं होता है, तो उनके भावनात्मक और शारीरिक शोषण, परिवार या सामुदायिक अस्वीकृति सहित तथाकथित 'सम्मान-आधारित' दुर्व्यवहार का और अधिक सामना करने और यहां तक कि सम्मान रक्षा हेतु हत्या की संभावना होती है।

ये प्रथाएं अपमानजनक और दखलंदाजी करने वाली होती हैं। वे पीड़ित में अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात (ट्रौमा) पैदा कर सकते हैं, और चिंता, अवसाद और ट्रौमा के बाद के तनाव विकार सहित कई रोगदशाओं को भड़का सकते हैं। इन प्रथाओं को आत्महत्या से जोड़ा गया है। वे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कौमार्य परीक्षण के परिणामस्वरूप हाइमन यानी योनिद्वार की झिल्ली को नुकसान हो सकता है, योनि की दीवार फट और क्षतिग्रस्त हो सकती है, रक्तस्राव और संक्रमण हो सकता है। हाइमेनोप्लास्टी में संक्रमण का खतरा भी अधिक होता है, जिसमें प्रक्रिया के दौरान तीव्र रक्तस्राव, क्षतचिह्न, योनि के मुहाने का सिकुड़ना और यौन संबंधी दिक्कतों के जोखिम बढ़ जाते हैं।

अगर आपको चिंता है कि आपके किसी जानने वाली का कौमार्य परीक्षण और उसकी हाइमेनोप्लास्टी किए जाने का खतरा है या हो सकता है, तो क्या करेंगे?

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त एक पूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज **वर्जिनिटी टेस्टिंग एंड हाइमेनोप्लास्टी: मल्टी-एजेंसी गाइडेंस - GOV.UK (www.gov.uk) में पाया जा सकता है, यह तब प्रभाव में आया जब कानून लागू हुआ।**

वेल्स विशिष्ट सहायता के लिए:

अगर किसी पर कोई तात्कालिक खतरा है तो 999 पर कॉल करके पुलिस से संपर्क करें और पुलिस से मदद मांगें।

अपने नियोक्ता/प्रदाता द्वारा उल्लिखित अपनी सुरक्षा उपाय संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करें।

वेल्स में पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं में शामिल हैं:

लाइव भयमुक्त हेल्पलाइन एक मुफ्त, 24/7 सेवा है जो घरेलू दुर्व्यवहार और यौन हिंसा के सभी पीड़ितों और जीवित बचे लोगों और परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों और अन्य संबंधितों सहित उनके करीबी लोगों के लिए है।

फोन: 0808 80 10 800

टेक्स्ट: 0786 007 7333

ईमेल: info@livefearfreehelpline.wales

लाइव चैट: gov.wales/livefearfree

Bawso (बावसो) वेल्स में घरेलू दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, मानव तस्करी, FGM और जबरन विवाह के शिकार काले अल्पसंख्यक जातीय और प्रवासी लोगों को व्यावहारिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने वाला अग्रणी संगठन है।

हेल्पलाइन पर कॉल करें: 0800 731817

ईमेल: helpline@bawso.org.uk

MEIC वेल्स में 25 वर्ष की उम्र तक वाले बच्चों और युवाओं के लिए जानकारी, उपयोगी सलाह और सहायता प्रदान करने वाली एक मुफ्त, गोपनीय, गुमनाम और द्विभाषी हेल्पलाइन सेवा है।

Meic (एमईआईसी) टेलीफोन, एसएमएस टेक्स्ट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए सुबह 8 बजे से आधी रात तक, सप्ताह में 7 दिन खुली रहती है।

फ्रीफोन: 0808 80 23456

टेक्स्ट: 84001

लाइव चैट: www.meiccymru.org

यौन हिंसा सहायता सेवाएं

नॉर्थ वेल्स (एंगलसी, कॉनवी, ग्वीनेड, फ्लिंटशायर, डेनबिशशायर और रेक्सहेम) में, 2 मुख्य यौन हिंसा सहायता सेवाएं हैं:

- बलात्कार और यौन दुर्व्यवहार सहायता केंद्र यानी रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज सपोर्ट सेंटर (RASASC) किसी भी प्रकार के यौन शोषण और हिंसा का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को जानकारी, विशेषज्ञ सहायता और थेरेपी यानी चिकित्सा प्रदान करता है। उनसे 01248 670 628 या **info@rasacymru.org.uk पर संपर्क किया जा सकता है।**
- स्टेपिंग स्टोन्स बचपन में यौन शोषण का शिकार होने वाले वयस्कों को चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। उनसे 01978 352 717 या **info@steppingstonesnorthwales.co.uk पर संपर्क किया जा सकता है।**

न्यू पाथवेज मिड, वेस्ट, ईस्ट और साउथ वेल्स में मुख्य यौन हिंसा सहायता सेवा प्रदाता है। उनसे 01685 379 310 या **enquiries@newpathways.org.uk पर संपर्क किया जा सकता है।**

कर्मा निर्वाणा एक राष्ट्रीय सम्मान आधारित दुर्व्यवहार हेल्पलाइन है, जो पेशेवरों को प्रशिक्षित करती है, नीतियों तथा सेवाओं को सूचित करने के लिए डेटा एकत्र करती है और बदलाव के लिए अभियान चलाती है।

हेल्पलाइन: 0800 599 9247

जबरन विवाह यूनिट

जबरन विवाह इकाई यानी **फोर्स्ड मैरिज यूनिट** (FMU) एक संयुक्त फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट (FCDO) और होम ऑफिस यूनिट है जो सरकार की जबरन विवाह नीति, आउटरीच और केसवर्क को लेकर अगुवाई करती है। इसका संचालन यूके के अंदर (जहां किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है) और विदेश में (जहां दोहरी नागरिकता वाले लोगों सहित ब्रिटिश नागरिकों को कॉन्सुलर सहायता प्रदान की जाती है) दोनों में है।

फोन: 020 7008 0151

ईमेल: fmu@fcdo.gov.uk

OGL © Hawlfraint y Goron 2022, Llywodraeth Cymru, WG45900